



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122020-223535
CG-DL-E-05122020-223535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3843]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942

No. 3843]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4381(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3119(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2020 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् “द टाइम्स ऑफ इण्डिया”, तारीख 29 सितम्बर, 2020 और “पुण्यनगरी”, तारीख 29 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: पालघर

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	हिस्सा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	वसई	राजावली	221	17	निजी	खेती	0.2927	सिप्रीयन पॉली डिसोजा, ज्युली सेबेस्टीयन कोलासो, मेरी मार्शल वाझ, लॉरेन्स पॉली डिसोजा, थॉमस पॉली डिसोजा, अनंत पॉली डिसोजा, फिलोमिना जॉन जॉर्ज साधे कुल मधुकर आत्माराम पाटील, यशवंत आत्माराम पाटील, वामन आत्माराम पाटील, वासुदेव आत्माराम पाटील

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2092]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2020

S.O. 4381(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 3119 (E), dated the 10th September, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 11th September, 2020 and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India”, dated the 29th September, 2020 and “Punyanagari”, dated the 29th September, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Name of the District: Palghar.

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number	Hissa Number	Type of land	Nature of land	Area in Hactare	Name of land owners/ Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Vasai	Rajavli	221	17	Private	Agriculture	0.2927	Ciprian Pauly D'souza, Julie Sebastian Colaso, Mary Marshal

								Waz, Lawrence Pauly D'souza, Thomas Pauly D'souza, Anant Pauly D'souza, Filomina John George, Sadhe Kul, Madhukar Atmaram Patil, Yashwant Atmaram Patil, Wanman Atmaram Patil, Wasudev Atmaram Patil.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

[F. No. 2020/LML-II/12/1/WC/2092]

A. K. SINHA, Executive Director (Land and Amenities)